न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्या 59/2021 (जीसीएमएस नम्बर 2021/124)

1. मनोहरलाल पुत्र रामकिशोर,
2. द्वारकाप्रसाद पुत्र रामकिशोर,
   जाति महाजन, निवासी ग्राम दुब्बी, तहसील सिकराय, जिला दौसा राजस्थान।

— अपीलान्ट्स

बनाम

आम जनता ग्राम दुब्बी, तहसील सिकराय जरिये

1. सियाराम पुत्र रणजीत,
2. हरज्ञान पुत्र भभड,
3. विश्राम पुत्र मूलचन्द,
4. सियाराम पुत्र अमरसिंह,
   समस्त जाति गुर्जर, निवासी ग्राम दुब्बी, तहसील सिकराय, जिला दौसा।
5. अध्यक्ष आवंटन सलाहकार समिति सिकराय जरिये उपखण्ड अधिकारी सिकराय।
6. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सिकराय, जिला दौसा।
7. विजयसिंह पुत्र सुवालाल,
8. गिरधारीलाल पुत्र हरसहाय,
   जाति गुर्जर, निवासी ग्राम दुब्बी, तहसील सिकराय, जिला दौसा।
9. बसन्ती पत्नि लक्ष्मीनारायण,
10. राजेन्द्र पुत्र लक्ष्मीनारायण,
11. कमलेश पुत्र लक्ष्मीनारायण,
12. श्यामसुन्दर पुत्र लक्ष्मीनारायण,
    जाति महाजन, निवासी ग्राम दुब्बी, तहसील सिकराय हाल निवासी पुराने हुन्डई शोरूम के पीछे रोडवेज डिपो के सामने दौसा, जिला दौसा।

— रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा दिनांक 07.01.2021 जो प्रकरण प्रार्थना पत्र नियम 14(4) आवंटन रूल्स अनुवानी आम जनता दुब्बी व अन्य बनाम मनोहरलाल व अन्य प्रकरण संख्या 03/2017 पर पारित किया गया है।

उपस्थित :–

1. श्री प्रदीप कुमार विजय, वकील अपीलान्ट्स।
2. श्री हेमराज गुर्जर, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से।
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 3 लगायत 5 व 7 लगायत 12 बाद तामील अनुपस्थित।
4. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 6 की ओर से।

निर्णय

दिनांक :— 27.05.2026

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत जिला कलक्टर, दौसा के निर्णय दिनांक 07.01.2021 के विरूद्ध दिनांक 02.03.2021 को प्रस्तुत हुई है।

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 10.02.1983 को ग्राम दुब्बी, तहसील सिकराय में स्थित भूमि खसरा नं0 157/2 रकबा 07 बिस्वा व आराजी ख0नं0 157/3 रकबा 03 बिस्वा भूमि का आवंटन हाल अपीलान्ट संख्या 1 व 2 के पिता एवं हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 9 लगायत 12 के दादा व ससुर को

किया गया था। हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 4 ने उक्त आवंटन आदेश से व्यथित होकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) भू–आवंटन नियम–1970 के तहत अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, दौसा के यहां प्रस्तुत किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा ने प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) आवंटन नियम 1970 स्वीकार किया जाकर प्रश्नगत आवंटन आदेश दिनांक 10.02.1983 बहक रामकिशोर पुत्र बंशीधर महाजन, जाति महाजन, निवासी दुब्बी, तहसील सिकराय, जिला दौसा को निरस्त किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.01.2021 को पारित किये गये।

3. जिला कलक्टर दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 07.01.2021 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं जिला कलक्टर, दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.01.2021 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का तहत रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि निर्णय अधीनस्थ न्यायालय विधि विरूद्ध प्रकिया नियमों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालाय ने अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा की गयी सम्पूर्ण बहस को लिखे बिना व अपीलान्ट के अधिवक्ता के द्वारा दी गयी कानूनी नजीरो के बारे में कोई विचार किये बिना उक्त आवंटन को निरस्त किया है अतः निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। अपीलान्ट के पिता को उक्त भूमि दिनांक 10.02.1983 को आवंटित हुई थी तब से लेकर लगातार अपीलान्ट व रेस्पो नंबर 9 लगा0 12 व अपीलान्ट के पिता का कब्जा चला आ रहा है व आज भी मौके पर कब्जा है। अपीलान्ट का पिता व अपीलान्ट उक्त भूमि पर काश्त करते चले आ रहे है व आज भी मौके पर काश्त कर रहे है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर विचार किये बिना आवंटन को निरस्त करने में कानूनी गलती की है अतः निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। उक्त आवंटन लगभग 40 वर्ष पहले हुआ है कानूनन इतने पुराने आवंटन को टेक्निकल आधार पर निरस्त नही किया जा सकता है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर विचार किये बिना आवंटन को निरस्त करने में कानूनी गलती की है अतः निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। उक्त भूमि की अपीलान्ट के पिता को खातेदारी मिल चुकी थी और खातेदारी मिले हुए भी काफी वर्ष हो गये है और खातेदारी जब मिलती है जब आवंटन रूल्स की पालना की गयी हो आवंटन रूल्स की पालना करने के कारण खातेदारी अधिकार मिले थे और कानूनन खातेदारी अधिकार मिलने के बाद आवंटन निरस्त नही किया जा सकता है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर विचार किये बिना आवंटन को निरस्त करने में कानूनी गलती की है। अपीलान्ट का पिता भूमिहीन था पटवारी हल्का की स्पष्ट रिपोर्ट भूमिहीन की थी किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के पिता के पास बिना किसी रिकार्ड प्रस्तुत हुए बिना 20–25 बीघा भूमि होना मानकर उक्त आवंटन को निरस्त किया है अतः निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है।

उक्त आवंटन अपीलान्ट के पिता को छोटी पट्टी के तहत और आरक्षित मूल्य की अदायगी पर आवंटन किया गया है अपीलान्ट के पिता ने आरक्षित मूल्य जमा करवाया है और छोटी पट्टी के तहत उक्त भूमि अपीलान्ट के पिता की अन्य भूमि के पास स्थित होने के कारण आवंटन किया गया है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात पर गौर नही करके और आवंटन निरस्त करने में कानूनी गलती की है अतः निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। उक्त आवंटितशुदा भूमि कभी भी रास्ते के रूप में काम मे नही आयी है और ना ही अब आ रही है जो पटवारी की रिपोर्ट से स्पष्ट सिद्ध है किन्तु फिर भी उक्त आवंटन को निरस्त करने में कानूनी गलती की है अतः निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। उक्त आवंटन बावत व रास्ता बाबत आम जनता के प्रतिनिधि अप्रार्थी नंबर

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

1 लगा० 4 ने एक सिविल वाद भी सिविल न्यायाधीश सिकराय के समक्ष अनुवानी सियाराम बनाम द्वारका प्रसाद का प्रस्तुत किया है जिस पर सिविल न्यायालय ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर बहस सुनकर उक्त भूमि मे होकर कोई रास्ता व आवागमन नही होना मानकर सियाराम वगैराह के प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को दिनांक 20.01.2017 को खारिज किया है जब मामला सिविल न्यायालय ने विचाराधीन है तो अधीनस्थ न्यायालय को मिसलेनियस प्रोसेडिंग में उक्त आवंटन को निरस्त नहीं करना चाहिए था बल्कि सिविल न्यायालय ने बाद साक्ष्य ही निर्णय होना चाहिए था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात पर गौर नही करके और निर्णय पारित करने में कानूनी गलती की है। रेस्पो0 नंबर 9 लगा० 12 को प्रफोर्मा पक्षकार बनाया गया है वो अपील करते वक्त हस्ताक्षर करने हेतु उपलब्ध नही है उनके खिलाफ कोई याचना नहीं चाही गयी है। अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाकर निर्णय अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर दौसा दिनांक 07.01.2021 को निरस्त फरमाने की कृपा करे एवं अपीलान्ट के पिता के हक मे किये गये आवंटन दिनांक 10.02.1983 को बहाल करने की कृपा करें।

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 2 के अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि आराजी खसरा नंबर 157 में से खसरा नंबर 157/2 व 157/3 रकबा 10 बिस्वा भूमि का दिनांक 10.02.1983 को विधि विरूद्ध आवंटन रामकिशोर पुत्र बंशीलाल महाजन को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा किया गया था। उक्त आवंटित भूमि गै०मु० रास्ता दर्ज राजस्व रिकार्ड है। गैर मुमकिन रास्ता ग्राम दुब्बी में नेशनल हाईवे नं0 11 को क्रोस करते हुए ग्राम पीलवा, डोलिका व राजवास को जा रहा है। आवंटनशुदा आराजी 10 बिस्वा की लंबी पट्टी है जो कृषि के काम भी नहीं ली जा सकती है। भूमि आवंटन के समय आवंटन योग्य नहीं थी। गांव के मवेशियान, आम जनता एवं आस पास के गांवों के लोग भी आराजी खसरा नंबर 157/2 एवं 157/3 गै० मु० रास्ते से ही मुख्य रोड नेशनल हाईवे एवं ग्राम दुब्बी में आवागमन करते है। राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान बनाम सरकार के केस में नदी, नाले की भूमि, रास्ता, जोहड पहाड की भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकता है। रास्ते के जरिये ही पानी का बहाव होता है। आवंटी रामकिशोर भूमिहीन व्यक्ति भी नहीं था बल्कि उसके पास पूर्व से ही पैतृक एवं आवंटनशुदा 20–25 बीघा कृषि भूमि ग्राम दुब्बी एवं कैलाई में थी। हाल अपीलान्ट के पिता आवंटी द्वारा आवंटन फार्म भी नहीं भरा गया। ना ही आवंटी द्वारा आवंटन नियमों की पालना की गई। नियमों के अनुसार आवंटन के प्रथम वर्ष में आधी भूमि व दूसरे वर्ष में पूरी भूमि को काश्त करना अनिवार्य है। परन्तु आवंटी ने आज तक भी भूमि पर ना तो काश्त की है और ना ही उसका कब्जा है। संवत 2063, सं0 2067, 2069, 2070 में उक्त भूमि पडत ही दर्ज राजस्व रिकार्ड है। संवत 2071 में भी पुरातन पडत भूमि दर्ज रिकार्ड गिरदावरी में अंकित है। खसरा गिरदावरी संख्या 207 सं0 2039 से 2042 में आवंटित खसरा नंबर 257/2 व 257/3 गै०मु० रास्ता दर्ज प्रमाणित है। आवंटन नियमों के मुताबिक सार्वजनिक गै०मु० आम रास्ता का आवंटन किसी भी सूरत में नहीं किया जा सकता है। आवंटी रामकिशोर द्वारा फ्रोड तरीके से तथ्यों को छुपाकर अवैधानिक आवंटन करा लिया है। आवंटी रामकिशोर द्वारा आवंटन के रोज ग्राम कैलाई में स्थित अपनी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 98, 102 खाता संख्या 97 की भूमि 24 बीघा 10 बिस्वा को जान बूझ कर छिपाया है। जो ग्राम कैलाई की जमाबंदी सं0 2038 से 2041 से स्पष्ट प्रमाणित है जिनका उल्लेख हाल अपीलान्ट के पिता प्रार्थी द्वारा आवंटन फार्म में नहीं किया गया है। हाल अपीलान्ट के पिता आवंटी द्वारा खसरा नंबर 148/2 गै०मु० थाई का आवंटन चाहा गया था। आवंटन फार्म में अनावश्यक चार–पांच जगह कांट छांट की गई है। प्रकरण के संबंध में न्यायिक उद्धरण प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र अ०धा० 14 (4) भू–आवंटन नियम–1970 स्वीकार किया जाकर हाल अपीलान्ट के पिता के पक्ष में किया गया आवंटन आदेश निरस्त फरमाया जावे। उन्होंने यह भी कथन किया है कि अधीनस्थ

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.01.2021 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा न्यायालय श्रीमान् के समक्ष पेश की गई अपील मय हर्जा खर्चो खारिज फरमायी जावे।

7. रेस्पोडेन्ट संख्या 6 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, दौसा द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.01.2021 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट्स खारिज की जावे।

8. हमने प्रकरण के अभिलेखों को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 10.02.1983 को ग्राम दुब्बी तहसील सिकराय के आराजी खसरा नम्बर 157/2 रकबा 7 बिस्वा व खसरा नम्बर 157/3 रकबा 3 बिस्वा का आवंटन हाल अपीलान्ट संख्या 1 व 2 के पिता एवं हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 9 लगायत 12 के दादा व ससुर रामकिशोर पुत्र बंशीधर महाजन को किया गया था। हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 द्वारा उक्त आवंटन आदेश से व्यथित होकर प्रार्थना पत्र बाबत् अन्तर्गत धारा 14 (4) भू–आवंटन नियम–1970 के तहत अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा के यहां प्रस्तुत किया गया था।

अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 10.02.1983 को रामकिशोर पुत्र बंशीधर महाजन निवासी दुब्बी, तहसील सिकराय, जिला दौसा को आराजी खसरा नम्बर 157 में से खसरा नम्बर 157/2 व खसरा नम्बर 157/3 रकबा 10 बिस्वा भूमि का आवंटन किया गया था। आवंटी के पास पूर्व से ही पैतृक एवं आवंटनशुदा 20–25 बीघा कृषि भूमि ग्राम दुब्बी एवं कैलाई में थी, जो यह दर्शाता है कि अप्रार्थी आवंटी वरवक्त आवंटन भूमिहीन नहीं था। उक्त आवंटन सलाहकार समिति के आवंटन आदेश द्वारा हाल अपीलान्ट के पिता के पास पूर्व में ही पैतृक एवं आवंटन शुदा भूमि होने पर भी आराजी खसरा नम्बर 157 में से खसरा नम्बर 157/2 व 157/3 रकबा 10 बिस्वा भूमि का दिनांक 10.02.1983 को आवंटन किया गया है, जिसके आधार पर ही अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा ने हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) आवंटन नियम 1970 स्वीकार किया जाकर प्रश्नगत आवंटन आदेश दिनांक 10.02.1983 बहक रामकिशोर पुत्र बंशीधर महाजन, जाति महाजन, निवासी दुब्बी, तहसील सिकराय, जिला दौसा को निरस्त किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.01.2021 को पारित किये गये। जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, दौसा के अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.01.2021 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट्स सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य प्रतीत होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 07.01.2021 को यथावत रखा जाता है।

(दीप्ति कछवाहा)
अति० संभागीय आयुक्त,
अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 27.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. संभागीय आयुक्त,
अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर